क्रम संख्या–60

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 04 मार्च, 2014 ई0

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 103/XXXVI(3)/2014/21(1)/2014

देहरादून, 04 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014"** पर दिनांक 03 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014

(अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2014)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये –

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 25 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा 25–क जोड़ दी जायेगी; अर्थात् :–

25–कः कतिपय वादों में स्वतः कर निर्धारण :

(1) बड़ी संख्या में अनिस्तारित ऐसे वार्षिक कर निर्धारण वादों, जिनमें अपेक्षाकृत कम टर्नओवर अथवा कर निहित है, को निपटाने के उद्देश्य से, इस अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यह प्राविधानित किया जाता है कि कमिश्नर, विज्ञप्ति जारी करके यह घोषित कर सकते हैं कि ऐसी विज्ञप्ति में सूचीबद्ध पंजीकृत ब्यौहारी, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 अथवा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिए जैसा कि ऐसी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट हो, निम्न आधारों पर स्वतः ही कर निर्धारित मान लिये जायेंगे;

(क) ऐसे मामले, जिनमें इस धारा का प्राविधान लागू होने तक सभी सावधिक विवरणियॉ दाखिल कर दी गयी है, लेकिन वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है, में इन सभी विवरणियों में स्वीकृत करदेयता; और

(ख) ऐसे मामले, जिनमें इस धारा का प्राविधान लागू होने तक कोई सावधिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है अथवा सभी सावधिक विवरणियॉ दाखिल नहीं की गयी है परन्तु वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गयी है, में वार्षिक विवरणी में स्वीकृत करदेयता; और

(ग) ऐसे मामले, जिनमें इस धारा का प्राविधान लागू होने तक सभी सावधिक विवरणियॉ दाखिल कर दी गयी है और वार्षिक विवरणी भी दाखिल कर दी गयी है, में वार्षिक विवरणी में स्वीकृत करदेयता;

परन्तु यह कि –

*(एक) ऐसे ब्यौहारी का कर निर्धारण अनिस्तारित हो और वह कर निर्धारण वर्ष **2011–12 अथवा 2012–13** के अतिरिक्त अन्य वर्ष से संबंधित न हो; और*

*(दो) ऐसे ब्यौहारी का संबंधित कर निर्धारण वर्ष में **"सकल वार्षिक आवर्त" एक करोड़ रूपये** से अधिक न हो। परन्तु यदि ऐसे ब्यौहारी, जिसके द्वारा केवल अनुसूची–III की क्रम संख्या 2, 3 और 8 पर विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल में ही संव्यवहार किया गया हो और ऐसे माल को पंजीकृत ब्यौहारियों से खरीद करने के पश्चात् प्रदेश में बिक्री किया गया हो, पर ऐसी सीमा लागू नहीं होगी; और*

(तीन) ऐसे ममाले, जिनमें केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 अथवा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत कोई कर की मुक्ति, रियायत अथवा रिबेट का दावा किया गया हो, में वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गयी हो तथा ऐसे दावों के समर्थन में संबंधित अधिनियम एवं नियम के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित घोषणा, प्रमाण पत्र अथवा अन्य साक्ष्य दाखिल कर दिए गए हों; और

(चार) ऐसे कर निर्धारण वर्ष से संबंधित, कर निर्धारण अधिकारी के किसी आदेश अथवा नोटिस के विरूद्ध कोई रिट अथवा धारा 51 या धारा 53 के अन्तर्गत कोई अपील दायर न की गयी हो;

परन्तु यह और कि –

*(एक) ऐसे ब्यौहारी द्वारा **संकर्म संविदा** के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) के अन्तरण का कोई सम्व्यवहार न किया गया हो; और*

*(दो) ऐसे ब्यौहारी द्वारा **"आयरन और स्टील"** अथवा **"खाद्य तेल"** की बिक्री का कोई सम्व्यवहार, राज्य के अन्दर के किसी पंजीकृत ब्यौहारी अथवा राज्य के बाहर के किसी ब्यौहारी से न किया गया हो; और*

*(तीन) ऐसे ब्यौहारी द्वारा **ईंटों** अथवा किसी प्रकार के **उपखनिजों** की, खरीद के पश्चात्, कोई बिक्री न की गयी हो; और*

(चार) ऐसे ब्यौहारी द्वारा कोई ऐसा टिम्बर प्रोडक्ट न बेचा गया हो जो राज्य के बाहर से आयातित टिम्बर अथवा राज्य के अन्दर से रियायती करदर से क्रय किए गए टिम्बर से निर्मित किया गया हो और जिस पर कर की दर, शून्य अथवा टिम्बर पर वैट की सामान्य दर से कम हो; और

(पाँच) ऐसे ब्यौहारी द्वारा रू0 5000 से अधिक की वापसी (रिफण्ड) का दावा न किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः कर निर्धारण को, संबधित ब्यौहारी के किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष में अथवा किसी अन्य ब्यौहारी के किसी कर निर्धारण वर्ष में, किसी वस्तु पर कर की दर संबंधी, किसी संव्यवहार के माल की बिक्री से संबंधित अथवा सेवा से संबंधित होने, किसी संव्यवहार के अन्तरराज्यीय बिक्री होने अथवा राज्य के अन्दर बिक्री होने अथवा किसी संव्यवहार के अन्तरराज्यीय बिक्री होने अथवा अन्तरराज्यीय कन्साइन्मेन्ट/स्टाक ट्रांसफर होने आदि से संबंधित विधिक विवादों में, आधार नहीं बनाया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत विज्ञापित वादों में किसी विवरणी के दाखिल न करने अथवा विलम्ब से दाखिल करने अथवा स्वीकृत कर को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर जमा न करने के कारण अर्थदण्ड अथवा विलम्ब शुल्क आरोपित करने या वसूल करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी और यदि पहले से आरम्भ कर दी गयी है तो ऐसी कार्यवाही रोक दी जायेगी। तथापि स्वीकृत कर एवं देय ब्याज, यदि जमा नहीं किया गया है, तो उसे अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार वसूल किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) में प्राविधानों के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी हो जाने के पश्चात् यदि कर निर्धारण अधिकारी, छानबीन(स्क्रूटनी) अथवा प्राप्त सूचना के आधार पर सन्तुष्ट है कि क़िसी कर निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी वाद में कर की देयता, स्वीकृत कर देयता से रू0 5000 या उससे अधिक है, तो ऐसे कर निर्धारण वर्ष का वाद कमिश्नर, अथवा कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी जो ज्वाइन्ट कमिश्नर से निम्न पद का नहीं होगा, की अनुमति से, लेखा पुस्तकों एवं संबधित दस्तावेजों की जॉच करके पुनः कर निर्धारण करने के लिए खोला जा सकता है और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी ऐसे वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु खोले जाने की समय–सीमा, ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा ऐसे वाद में पुनः कर निर्धारण पूर्ण करने की समय–सीमा, जिस दिनांक को वाद खोला गया है से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन किसी वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु खोलने संबंधी किसी निर्णय के विरूद्ध, अधिनियम के अन्तर्गत अपील दाखिल नहीं हो सकेगी।

(6) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (दो) के प्रयोजन हेतु "सकल वार्षिक आवर्त" निम्न का योग होगा :–

प्रदेश के अन्दर के सम्व्यवहार –

(क) राज्य के अन्दर माल की कर योग्य बिक्री;

(ख) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अन्तर्गत कर योग्य खरीद;

(ग) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) की अनुसूची–I में सूचीबद्ध माल की करमुक्त बिक्री;

(घ) अधिनियम के अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत माल की करमुक्त बिक्री; एवं

अन्तरराज्यीय सम्व्यवहार –

(क) माल की कर योग्य अन्तरराज्यीय बिक्री;

(ख) अधिनियम की धारा 4की उपधारा (2) के खण्ड (क) की अनुसूची–I में सूचीबद्ध माल की करमुक्त अन्तरराज्यीय बिक्री;

(ग) करमुक्त अन्तरराज्यीय बिक्री (क्रेन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत);

(घ) देश के बाहर निर्यात का आवर्त;

(ङ) राज्य के बाहर स्टाक ट्रासफर/कन्साइन किए गए माल का मूल्य;

(7) इस धारा के उद्देश्य एवं प्रयोजन को कार्यान्वित करने हेतु कमिश्नर, यदि आवश्यक हो, वांछनीय ऐसे अनुदेश अथवा स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जिससे कि ब्यौहारी के स्तर पर हुई छोटी–छोटी लोप या त्रुटियों के कारण उसे इस धारा के प्राविधानों का लाभ देने से इंकार न किया जा सके।

धारा 74 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (1) के वर्तमान खण्ड (घ) के उपखण्ड(ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्–

वर्तमान खण्ड		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड	
जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो	रू0 10	जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो	(क) रू0 10 (ख) कोई फीस नहीं, जहॉ आवेदन विभागीय वैबसाईट पर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाय।

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।